

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 42/23 (वाद)

GCMS NO: 2023/114

अनवान

1. श्री महेंद्र कुमार पिता भवरलाल जी महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
2. श्री दिलीप कुमार पिता भवरलाल जी महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
3. श्री सुरेश कुमार पिता चतर लाल महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
4. श्री दिनश चन्द पिता चतर लाल महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
5. श्री विजय कुमार पिता चतर लाल महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
6. श्री रणजीत कुमार पिता चतर लाल महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
7. श्रीमती भवर बाई पत्नी चतर लाल महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

वादी

बनाम

1. श्री राजेश कुमार पिता शान्तिलाल महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
2. श्री विनोद कुमार पिता शान्तिलाल महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
3. श्रीमती हेमलता पुत्री शान्तिलाल महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
4. श्रीमती हसा पुत्री शान्तिलाल महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
5. श्रीमती संगीता पुत्री शान्तिलाल महाजन निवासी खरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
6. श्री राजस्थान राज्य जसिये श्री तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.05.2024 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा खरोदा पटवार हल्का खरोदा, तहसील भीण्डर की निम्न आराजियात का वंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.	खातेदार का नाम	आ.न	रकबा	किस्म	लगात
1	दिलीप कुमार पुत्र भवरलाल 1/2, महेंद्रकुमार पुत्र भवरलाल 1/2, जाति महाजन सा देह खातेदार	1003	0.48	माल प्र.	4.32
		1004 मी.	0.0334	माल प्र.	0.04
	योग	किता 2	0.5134	-	4.36
2.	सुरेशकुमार पुत्र चतरलाल 1/5, दिनशचन्द पुत्र चतरलाल 1/5, विजयकुमार पुत्र चतरलाल 1/5, रणजीतकुमार पुत्र चतरलाल 1/5, भवरबाई पत्नी चतरलाल 1/5 जाति महाजन सा देह खातेदार	1004/1	0.5133	माल प्र.	4.75
3.	राजेशकुमार पुत्र शान्तिलाल 1/5, विनोद कुमार पुत्र शान्तिलाल 1/5, हेमलता पुत्री शान्तिलाल 1/5, हसा पुत्री शान्तिलाल 1/5, संगीता पुत्री शान्तिलाल 1/5 जाति महाजन सा देह खातेदार	1004/2	0.5133	माल प्र.	4.75



नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र वहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 42/23 (वाद)

GCMS NO: 2023/114

अनवान

1. श्री महेंद्र कुमार पिता भंवरलाल जी महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
2. श्री दिलीप कुमार पिता भंवरलाल जी महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
3. श्री सुरेश कुमार पिता चतर लाल महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
4. श्री दिनश चन्द्र पिता चतर लाल महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
5. श्री विजय कुमार पिता चतर लाल महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
6. श्री रणजीत कुमार पिता चतर लाल महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
7. श्रीमती भवर बाई पत्नी चतर लाल महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

वादी

बनाम

1. श्री राजेश कुमार पिता शान्तिलाल महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
2. श्री विनाद कुमार पिता शान्तिलाल महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
3. श्रीमती हमलता पुत्री शान्तिलाल महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
4. श्रीमती हसा पुत्री शान्तिलाल महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
5. श्रीमती संगीता पुत्री शान्तिलाल महाजन निवासी खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
6. श्री राजस्थान राज्य जसिये श्री तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज।

.....प्रतिवादीगण

स्थित-1. श्री लक्ष्मण गिरी गोरवामी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय: —

दिनांक : 21.05.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई तथा मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरों एक सौ रुपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे। परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरादा पटवार हल्का खेरादा, तहसील भीण्डर की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-

क्र.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किरम	लगान
1	दिलीप कुमार पुत्र भंवरलाल 1/2, महेंद्रकुमार पुत्र भंवरलाल 1/2, जाति महाजन सा. देह खातेदार	1003	0.48	माल प्र.	4.32
		1004 गी.	0.0334	माल प्र.	0.04
	योग	किता 2	0.5134	—	4.36
2.	सुरेशकुमार पुत्र चतरलाल 1/5, दिनशचन्द्र पुत्र चतरलाल 1/5, विजयकुमार पुत्र चतरलाल 1/5, रणजीतकुमार पुत्र चतरलाल 1/5, भंवरबाई पत्नी चतरलाल 1/5 जाति महाजन सा. देह खातेदार	1004/1	0.5133	माल प्र.	4.75
3.	राजेशकुमार पुत्र शान्तिलाल 1/5, विनाद कुमार पुत्र शान्तिलाल 1/5, हमलता पुत्री शान्तिलाल 1/5, हसा पुत्री शान्तिलाल 1/5, संगीता पुत्री शान्तिलाल 1/5 जाति महाजन सा. देह खातेदार	1004/2	0.5133	माल प्र.	4.75

डिक्री पचा जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फंसल शूमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मुनाया गया।